

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस  
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 148 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांटस

रेस्पोडेंटगण

आरबी पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी पांधी का निवाण पटवार क्षेत्र हरपालिया तहसील सेडवा	1. वजादीन पुत्र अलीम 2. ईदा पत्नी हामीद 3. हनीफ पुत्र अजीज 4. जामीन पुत्र अजीज 5. सजण बेवा अजीज जाति मुसलमान निवासी पांधी का निवाण पटवार क्षेत्र हरपालिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर 6. प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा सेडवा 7. प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा सेडवा 8. तहसीलदार सेडवा
---	---

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2016  
बअनवान वजादीन बनाम आरबी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक  
05.07.2017 के विरुद्ध पेश हुई।


उपरिस्थिति

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवनगिरी सोडियार रेस्पोडेंट की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:- 29.09.2022


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत  
मौजा पांधी का निवाण पटवार क्षेत्र हरपालिया तहसील सेडवा में खसरा संख्या  
265/209 रकबा 329.03 बीघा आया हुआ है। जिसमें विवादित भूमि में वादीगण का  
1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा के वैध खातेदार है जिसके हिस्से  
घोषित करने तथा विभाजन करने हेतु दावा पेश किया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक  
20.12.2016 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का  
समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल  
के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा  
स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के  
खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की  
गई।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सेड़वा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया

  
रजिस्टर अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर


है। किसी का हिरसा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अरसा एक माह पूर्व अपीलांट पूर्व अपीलांट अपने बाहगी बंटवाडे के अनुरार भूमि पर काशत करने लगा तो उत्तरदातागण ने कहा कि इस वर्ष हम भूमि विधिवत बंटवाडे के अनुसार काबिज होकर काशत करेगे तथा आपको पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पडेगी तथा मौके पर कब्जा काशत के अनुसार बंटवाडा नहीं होकर उसके विपरित है जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकले मांगी जो दिनांक 20.09.2017 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.12.2016 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काशत के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By


  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाउनेर

**Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांतगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2016 बअनवान वजादीन बनाम आरबी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा(अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त सहायक कलक्टर चौहटन था वर्तमान में सहायक कलक्टर सेड़वा के क्षेत्राधिकार में) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.12.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

  
(प्रतिष्ठा पिलानिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर